

सं०-1-40014/09/प्रो.यो./2021-22/रा.भा -

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
खंड-2, केंद्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली -03

दिनांक 11-03-2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन दिए जाने तथा सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूलरूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं 2021-2022।

कृपया गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 29.3.2019 के पत्र सं. 20014/01/2016 के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन दिए जाने तथा सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने की प्रोत्साहन योजनाएं इस कार्यालय के दिनांक 21.9.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 608 के तहत लागू की गई हैं।

2. उपर्युक्त दोनों योजनाओं की अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने जा रही है। अतः अनुरोध है कि बल के सभी कार्यालय/फॉर्मेशन वर्ष 2021-22 के दौरान उपर्युक्त दोनों प्रोत्साहन योजनाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों व कर्मियों के अभिलेखों का मूल्यांकन कर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करना सुनिश्चित करें व रिपोर्ट 30 अप्रैल तक इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उप महानिरीक्षक(शिक्षा.एवं कल्याण)
महानिदेशालय, भा.ति.सी. पुलिस

सेवा में,

513
14/3/22

1. कमान मुख्यालय (पूर्वी एवं पश्चिमी)/समस्त फ्रंटियर/प्रशिक्षण परिक्षेत्र, भा.ति.सी. पुलिस को इस आशय के साथ कि इसे अपने नियंत्रणाधीन समस्त क्षेत्रीय मुख्यालयों/वाहिनियों/प्रशिक्षण केंद्रों को आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित करें।

2. आधार /रेफरल/ कंपोजिट चिकित्सालय/केंद्रीय अभिलेख कार्यालय, भा.ति.सी.पु.बल।

3. सेनानी(आई.टी सेल), महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल को इस आशय से कि इसे भा.ति.सी.पु. की वैबसाइट में उपलब्ध राजभाषा फोल्डर में अपलोड करवाएं।

प्रतिलिपि:-

समस्त अधिकारियों के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक व समस्त अनुभाग/शाखा प्रभारी महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल को अनुरोध के साथ कि उक्त दोनों योजनाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों व कर्मियों के अभिलेख दिनांक 10.4.2021 तक राजभाषा अनुभाग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।



10/3
उप महानिरीक्षक(शिक्षा.एवं कल्याण)
महानिदेशालय, भा.ति.सी. पुलिस